न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 25/2023(2023/93)

1. भैरू पुत्र नाथू बलाई निवासी ग्राम निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

--अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 08.03.2023

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की कब्जे स्वामित्व एवं खातेदारी की निम्न आराजीयात वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।

खेवट खतोनी संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
202–193	1867/338	0.96	बारानी–3
	1868/338	0.24	बारानी–3
	1869/338	0.18	बारानी–3
	1870/338	0.57	बारानी–3
	1871/338	0.45	बारानी–3
	1873/338	0.75	बारानी–3
	1874/338	0.53	बारानी–3
	1883/338	1.31	बारानी–3
	कुल किता 8	कुल रकबा 4.99 है	
201–335	1872/338	0.75	बारानी–3
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.75 है	

Scanned with OKEN Scanner

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जो कि प्रार्थी की स्वयं की आराजी है एवं प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के पडोसियों के मध्य सीमा चिन्ह को लेकर आये दिन लडाई झगडा होता रहता है जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1883/338 के अतिरिक्त शेष आराजी प्रार्थी की खातेदार में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1883/338 रकबा 1.31 हैक्ट किस्म बारानी जो कि सहवन से गलत अंकित हो गया है जबकि 1883/338 के स्थान पर 1882/338 रकबा 1.31 हैक्ट किस्म बारानी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1883/338 के अतिरिक्त शेष आराजी एवं खसरा नम्बर 1882/338 की स्थायी पत्थरगढी के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 202–193 किता 8 कुल रकबा 4.99 हैक्टर, खाता संख्या 201–335 किता 1 कुल रकबा 0.75 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner